न्यायालय उपखण्ड [illegible] श्रीमती अंजना राहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रकरण सं. [illegible]/2021

तारीख दायरा 25.05.2021

उनवान

धन्नीबाई पत्नी रूपचन्द उम्र 60 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम बोरीनाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
–वादिनी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामनारायण जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. निर्मला बाई पत्नी स्व0 श्योराम जाति किराउ निवासी तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. बलराम पुत्र स्व0 श्योराम जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति–

दिनांक–29.07.2021

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादिनी)

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादीगण)

––निर्णय––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद कोटा में नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार खाता सं0 नई 32 पुरानी 33 के खसरा नं0 26 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.93 है0, खसरा नं0 93 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 271 रकबा 0.01 है0 कुल 4 किता की कुल 3.04 है0 आराजीयात स्थित है, जो प्रतिवादी नं0 1 को दिनांक 20.06.2013 को हक त्याग द्वारा इन्तकाल नं0 134 से प्राप्त हुई है, इसी प्रकार

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

वादी नं0 2 व 3 के स्व0 पति/पिता श्योराम को खसरा नं0 42 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 रकबा 1.07 है, खसरा नं0 91 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 163 रकबा 0.73 है0 कुल 4 किता 1.85 हैक्टर प्राप्त हुई है। जिसका वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता सं0 नई में श्योराम की मृत्यु हो जाने से उसके उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं0 2 व 3 के राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के संयुक्त रूप से ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां हसील सांगोद में सम्वत 2073 से 2076 से खाता सं0 नई 33 के खसरा नं0 2 रकबा 1.13 है0 राजी संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 3 की पुश्तैनी आराजी ग्राम कस्या में सम्वत 2061–2064 में रामनारायण के वैध वारिसान के खाते में राजस्व रिकार्ड में र्ज थी। प्रतिवादी नं0 2 व 3 के स्व0 पिता/पति श्री श्योराम पुत्र श्री रामनारायण एवं श्रीमती दा बाई पुत्री रामनारायण जाति किराड द्वारा वादिनी श्रीमती धन्नी बाई को दिनांक .06.2007 को विक्रय विलेख आराजी ग्राम तरकस्या पटवार बोरीनाकलां तहसील सांगोद के ल की खाता सं0 नई 26 के खसरा नं0 93 की रकबा 1.06 है0 में निहित प्रतिवादीगण 2 व 3 पिता व पति श्योराम के हिस्से 1/5 में से 11/21 हिस्सा एवं खातेदार नर्बदा बाई का म्पूर्ण 1/5 हिस्सा कुल आराजी 0.32 है0 उत्तरी पूर्वी तरफ का पारिवारिक विभाजन अनुसार स्सा को संभला कर विक्रय विलेख कर दिया था, लेकिन आराजी पर एस.बी.बी.जे. शाखा ांगोद बैंक का रहन का नोट होने से वादिनी के हक में इन्तकाल नहीं खुलने से राजस्व कार्ड में दर्ज नहीं हो सका तथा क्रयशुदा आराजी पर वादिनी का वर्तमान में भी कब्जा चला रहा है।

वादिनी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 से वादिनी के क्रयशुदा आराजी का विभाजन रवाकर वादिनी के खाते लगाने की कहने पर वादीगण द्वारा पुनः क्रयशुदा आराजी का विक्रय वेलेख करवाने को कहा है। प्रतिवादी क्रम 1 को वादिनी द्वारा क्रयशुदा आराजी खसरा नं0 93 रकबा 1.06 है0 को विभाजन में अपने खाते रिलीज डीड करवाने का विधिक अधिकारी नहीं होने से वादिनी के हिस्से खसरा नं0 93 की 1.06 है0 में से 0.32 है0 उत्तर पूर्वी का वैध रिलीड डीड नहीं होने से वादिनी के हक तक शून्य है, तथा वादिनी को क्रयषुदा आराजी ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद के खाता सं0 नई 33 के खसरा नं0 93 की 1.06 है0 आराजी में से वादिनी के कब्जे एवं क्रयशुदा आराजी उत्तर पूर्वी 0.32 है0 को अपने खाते लगवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

वादिनी को जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 राजस्व रिकार्ड खाता सं0 नई 32 में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज खसरा नं0 93 रकबा 1.06 है0 में से 0.32 है0 विक्रय विलेख दिनांक 26.06.2007 के आधार पर अपने नाम की घोषणा करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

...स्ती कर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उक्त वाद घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती तथा स्थाई ...ाज्ञा एवं विभाजन का प्रस्तुत करना आवश्यक होने से प्रस्तुत किया है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिनी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध ...म्न आषय की डिकी पारित फरमायी जावे कि :–

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां ...हसील सांगोद की आराजी खाता सं0 नई 32 पुराना 33 की खसरा नं0 93 रकबा 1.06 है0 में ...से 0.32 है0 उत्तर पूर्वी हिस्सा की वादिनी के खाते की घोषणा की जावे, तथा राजस्व रिकार्ड ...जमाबन्दी में घोषणा अनुसार वादिनी का नाम दर्ज कर प्रतिवादी कम 1 के खाते से इन्द्राज दुरस्त किया जावें। वादिनी के हिस्से की उक्त घोषणा अनुसार वादिनी का खाता विभाजन कर वादिनी के कब्जे शुदा आराजी खाता सं0 33 के खसरा नं0 93 रकबा 1.06 है0 में से उत्तर पूर्वी हिस्सा विकय विलेख 26.06.2007 के अनुसार 0.32 हैक्टर विभाजन कर खाता व लगान पृथक–पृथक किया जावें। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में मात्र नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर बिना विधिवत बंटवारा करवाये आरांजी को कही रहन बैय फरोक्त आदि नही करे, और वादिनी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत व नुकसान कारित नहीं करे, उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, और न ही अपने किन्ही नौकरों व एजेन्टों से ऐसा करावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से वकील अधिवक्ता श्री मोहम्मद अशफाक ने वकालतानामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण प्रतिवादी सं.4 राज्य सरकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एवं वादिनी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां की

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

ता सं. नया 32 पुराना 32 की आराजी खसरा नं. 93 रकबा 1.06 है. में से 0.32 है. उत्तरी तरफ का हिस्से को वादिनी के खाते दर्ज किया जावें।

वादिनी की पहचान वकील वादी द्वारा की गई तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनामा सरे इजलाज पढकर सुनाया गया। किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई। मेरे द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, जवाब दावा, राजीनामा आदि के आधारा पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि–

ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद की खाता सं. नया 32 पुराना 33 की आराजी खसरा नं. 93 रकबा 1.06 है. में से 0.32 है. उत्तरी पूर्वी तरफ का हिस्से पर वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

न्यायालय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

तारीख दायरा 25.05.2021

प्रकरण संख्या : 54/2021

उनवान

...बाई पत्नी रूपचन्द उम्र 60 वर्ष जाति खाती निवासी ग्राम बोरीनाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। –वादिनी

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र रामनारायण जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. निर्मला बाई पत्नी स्व0 श्योराम जाति किराड निवासी तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. बलराम पुत्र स्व0 श्योराम जाति किराड निवासी ग्राम तरकस्या तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,209 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति– दिनांक–29.07.2021

श्री रमेश कुमार शर्मा (वकील वादिनी)

श्री मोहम्मद अशफाक (वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री रमेश कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

ग्राम तरकस्या पटवार हलका बोरीनाकलां तहसील सांगोद की खाता सं. नया 32 पुराना 33 की आराजी खसरा नं. 93 रकबा 1.06 है. में से 0.32 है. उत्तरी पूर्वी तरफ का

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

इस्से [illegible] वादिनी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से दर्ज कर इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस
7 दिसम्बर–7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद

क्रमांक – 2022 / 159   दिनांक– 18/1/22

वास्ते– पटवारी हलका ......बोरीनाकलां......

विषय– मि.न. ...2/2022... इजराय की पालना बाबत।

उनवान– ......धन्नी बाई / बजरंग लाल......

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में जेरकार उक्त प्रकरण में निर्णय डिक्री की पालना आपेक्षित है, जो कि आप द्वारा अभी तक भी नहीं भिजवाई गई है। जिसके अभाव में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः आप उक्त प्रकरण में पालना रिपोर्ट मय संबंधित रेकार्ड सहित अविलम्ब हो जरिये तहसील अन्दर 15 योम में आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें। पालना रिपोर्ट नियत समय अवधि में प्राप्त नहीं होने पर आपके विरूद्ध विभागिय कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

(मुहर: उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला- कोटा)

क्रमांक– / 2022 / 159   दिनांक– 18/1/22

प्रतिलिपि–सूचनार्थ / पालनार्थ

1 तहसीलदार सांगोद / नायब तहसीलदार कनवास को भेजकर लेख है कि वांछित पालना रिपोर्ट नियत अवधि में कराई जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

(मुहर: उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, जिला- कोटा)

कार्यालय तहसीलदार (भू० अभि०) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक/LR/2023/799

दिनांक– 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र० सं० 54/2021 उनवान धन्नीबाई पत्नि रूपचन्द / [illegible] में जारी डिक्री दिनांक 25/5/21 की पालना में ग्राम तारकला में नामान्तरकरण सं. 271 दिनांक 14/7/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू० अभि०)

तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

सम्वत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 110
खाता संख्या पुराना :- 32

...तहसील
...बोरीनाकलां
...किशनपुरा
...गोद

...नाम:-
...पवि रूपचन्द हिस्सा- पूर्ण जाति- खाती सा.बोरीनाकलां खातेदार
...खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा Sangod,

...	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
	0.3200	चाही तृतीय	0.3200	7.04		स्वीकृत नामांतरकरण : 271 14/07/2022 न्याया. आदेश स्वीकृत नामांतरकरण : 278 30/09/2022 रहननामा	
...1	0.3200		0.3200	7.0400			

...केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
...प्रयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

तरकस्या
बोरीनाकलाँ
किशनपुरा
गोद

सम्वत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 109
खाता संख्या पुराना :- 32

नाम:-
नकीवाई पत्नि बजरंगलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- किराड़ सा.देह खातेदार
पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा KOTA ROAD, SANGOD,

ा	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृपक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
	0.0600	माल प्रथम	0.0600	0.60		स्वीकृत नामांतरकरण : 265 05/05/2022 दान	
	0.7400	चाही तृतीय	0.7400	16.28		स्वीकृत नामांतरकरण : 275 22/09/2022 रहननामा	
े-2	0.8000		0.8000	16.8800			

केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

C